

प्रेसनोट दिनांक 15.01.2021

1. दिनांक 14.01.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि देव पत्र मांझी पुत्र रामरूप मांझी नि0 तिहुरा उपरहार थाना को0अयोध्या अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 21 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.01.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार सोनी थाना महराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कपिल देव यादव पुत्र अभिमन्यु यादव नि0 चौरहिया समंथा थाना महराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महराजगंज में मु0अ0सं0 14 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.01.21 को वादी उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पवन कुमार पुत्र राम किशन नि0 भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 25 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.01.21 को वादी उ0नि0 श्री जय किशोर अवरथी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम अवतार पुत्र राम कुमार नि0 केवटहिया मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 13 / 21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.01.21 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र हरि प्रसाद नि0 हरदोईया थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 डीएस 8017 मोटर साइकिल का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल से टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता का गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मो0सा0 क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 17 / 21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 14.01.21 को वादी श्री अनुराग वर्मा पुत्र मोहले नि0 पस्तामाफी थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि साहब लाल पुत्र राम नाथ नि0 पस्तामाफी थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 02 नफर ट्रैक्टर से उपला टूट जाने की बात को लेकर अभियोग द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 14 / 21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।